सवानी रोडलाईंस

बनाम

सुंदरम टेक्सटाइल्स लिमिटेड एवं एक अन्य

13 जुलाई, 2001

[एस. राजेंद्र बाबू और एस. एन. वरियावा, न्यायाधिपतिगण]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 - धारा 2 (ख) और (घ)

उपभोक्ता - प्रत्यासन- वाहक - माल की गैर-डिलीवरी - बीमा कंपनी द्वारा निपटाया गया माल का नुकसान - बीमा कंपनी द्वारा प्रेषक से अधीनता का पत्र प्राप्त करना - वाहक के खिलाफ बीमा कंपनी द्वारा शिकायत - स्वीक्रत - वैधता - अभिनिर्धारित, प्रत्यान का पत्र एक सौंपा हुआ कार्य था - समनुदेशिती सेवा का लाभार्थी नहीं था और उपभोक्ता नहीं था - इस प्रकार, बीमा कंपनी द्वारा शिकायत, पोषणीय नहीं थी। हालांकि, यह बीमा कंपनी के लिए खुला है कि वह सिविल कोर्ट में वसूली के लिए दावा दायर करे।

प्रतिवादी संख्या 1 ने परिवहन के लिये अपीलकर्ता को कुछ सामान भेजा। उक्त सामान वितरित नहीं किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 बीमा कंपनी से माल की हानि का दावा किया। बीमा कंपनी ने

दावे का निपटारा किया और "प्रत्यासन पत्र और एक विशेष पॉवर ऑफ अटॉर्नी" प्राप्त की। उसके बाद, उक्त पत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 बीमा कंपनी ने अपीलार्थी-वाहक के विरूद्व एक दावा राज्य उपभोक्ता निवारण मंच के समक्ष प्रस्तुत किया, जो कि स्वीकार किया गया। असफल अपीलार्थी ने निगरानी राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के समक्ष प्रस्तुत की। इसलिये यह अपील है।

वर्तमान अपील में मुददा यह था कि क्या प्रतिवादी नंबर 2-बीमा कंपनी एक उपभोक्ता थी यानि कि अपीलार्थी और इस प्रकार उपभोक्ता मंच के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर सकती है।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुये अभिनिर्धारित किया :

प्रतिवादी संख्या 2 - बीमा कंपनी उपभोक्ता मंच के समक्ष अपीलकर्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की हकदार नहीं है । प्रत्यासन पत्र की मुख्य शर्तें केवल प्रभावी समनुदेशन में हैं और चूंकि समनुदेशनकर्ता सेवा का लाभार्थी नहीं था, इसलिए यह उपभोक्ता नहीं था। हालांकि, बीमा कंपनी के लिए सिविल कोर्ट में राशि की वसूली के लिए दावा दायर करना खुला रहेगा। [982-एच; 983-एच; 984-ए]

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी कंपनी लिमिटेड बनाम और बी एन सैनानी [1997] 6 एससी और ओबेरॉय फॉवर्डिंग एजेंसी बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, [2000] एससीसी 407, पर भरोसा किया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या 7349/ 2000.

(राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली के निर्णय एवं आदेश दिनांक 11/3/1999 से ।)

एम.एन. कृष्णमणि, आलोक सांगवान, सोमायजीत पासी, एस. श्रीनिवासन और वी. सुदिर, अपीलार्थी के लिये।

सोली जे. सोराबजी, महान्यायवादी, ए. के. रैना और अनिल कुमार झा, प्रतिवादी के लिये।

न्यायालय का निर्णय एस. एन. वरियावा, न्यायाधिपति द्वारा दिया गया :

यह अपील राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के आदेश दिनांक 11/3/1999 के विरूद्व है।

संक्षेप में बताये गये तथ्य इस प्रकार है:

प्रथम प्रतिवादी ने अपीलार्थी को 9,30,188/- रूपये मूल्य के 125 कार्टन का माल नंगुनेरी से इच तक परिवहन के लिये सौंपा था, माल वितरित नहीं किया गया। प्रथम प्रतिवादी ने दूसरे प्रतिवादी के साथ माल

का बीमा कराया था। पहले प्रतिवादी ने दूसरे प्रतिवादी के साथ माल की हानि के लिये दावा दायर किया। दूसरे प्रतिवादी ने प्रथम प्रतिवादी को रूपये 9,30,188/- का भुगतान करते हुये दावे का निपटारा कर लिया। प्रतिवादी संख्या 2 ने पत्र लिया, जिसे "प्रत्यासन का पत्र और विशेष पॉवर ऑफ अटॉर्नी" कहा जाता है। इस पत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रत्यर्थी ने राज्य उपभोक्ता निवारण आयोगके समक्ष एक शिकायत प्रस्तुत की। प्रतिवादी संख्या 1 भी शिकायत में पक्षकार था। राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग ने अपने आदेश दिनांक , जो 16 दिसंबर, 1998 के द्वारा इस अपीलकर्ता को रूपये का भुगतान 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के साथ करने का निर्देश दिया।

अपीलकर्ता ने राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग के समक्ष एक निगरानी दायर की जिसे 11 मार्च 1999 के आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है। इसलिये यह अपील है।

हमारे सामने एकमात्र सवाल यह उठाया गया है कि क्या बीमा कंपनी एक उपभोक्ता है, यानि कि अपीलकर्ता और इस प्रकार उपभोक्ता उपभोक्ता मंच के समक्ष पेश कर सकता है।

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम बनाम बी. एन. सैनानी [1997] 6 एस. सी. सी. 383 के मामले प्रतिवेदित, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि माल की कम उतरने के काण होने वाले

नुकसान के लिय मुकदमा करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता की परिभाषा के तहत किसी भी सेवा का कोई लाभार्थी नहीं माना जा सकता है। यह माना गया है कि ऐसा समनुदेशिती अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज नहीं कर सकता है, लेकिन हानि की वसूली के लिये सिविल कोर्ट में शिकायत दर्ज कर सकता है, माना गया है कि ऐसे समनुदेशिती के द्वारा की गई शिकायत पोषणीय नहीं होगी।

ओबेरॉय फॉरवर्डिंग एजेंसी बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड [2000] 2 एससीसी 407 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि पारगमन के दौरान माल की हानि के लिये प्रेषक का बीमा करे और एक समनुदेशक होने पर वह किराये पर ली गई सेवाओ का लाभार्थी न हो। और एक असाइनमेंट होने पर, प्रेषक द्वारा वाहक से ली गई सेवाओ का लाभार्थी नहीं हो। यह माना गया कि बीमाकर्ता उपभोक्ता नहीं है और इसलिये माल के वाहन के खिलाफ शिकायत नहीं कर सकता। यह माना जाता है कि सह शिकायतकर्ता के रूप में प्रेषक का भी बीमाकर्ता को ऐसी शिकायत करने में सक्षम नहीं करेगा। इस फैसले में प्रत्यासन पत्र की अवधि भी भी निर्धारित की गई है। मुख्य शब्द, कमोबेश, वर्तमान मामले में "प्रत्यासन पत्र"की शर्तों के समान हैं। उन शब्दों की एक व्याख्या पर इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित माना है कि ऐसा "प्रत्यासन पत्र" प्रभावी रूप से एक समनुदेशक है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि समनुदेशिती सेवाओं का लाभार्थी नहीं था और उपभोक्ता नहीं था। यह

अभिनिर्धारित किया जाता है कि बीमा कंपनी द्वारा एक शिकायत इस स्थिति के साथ पोषणीय नहीं थी।

स्थिति का सामाना किया, श्री रैना ने प्रस्तुत किया कि दोनों मामलों में अर्थात न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का मामला और ओबेरॉय फॉरवर्डिंग एजेंसी के मामले में, निर्णय इस तथ्य पर आधारित थे कि एक समनुदेश था। उन्होने प्रस्तुत किया कि यदि कोई समनुदेश नहीं था, लेकिन केवल एक अधीनता थी तो इन दोनो मामलो में निर्धारित सिद्वांत लागू नहीं होगे। उन्होने प्रस्तुत किया कि अधीनता पर बीमा कंपनी केवल इसके उपभोक्ता के स्थान पर कदम रखेगी और उपभोक्ता की ओर से शिकायत प्रस्तुत करेगी। उन्होने इस न्यायालय को प्रत्यासन पत्र की विभिन्न शर्तो को दिखाया और प्रस्तुत किया कि, इस मामले में, कोई समनुदेशक नहीं था, लेकिन केवल प्रत्यासन था। उन्होने प्रस्तुत किया कि इस प्रकार शिकायत पोषणीय थी।

हमारे विचार में, यह तय करना आवश्यक नहीं है कि शिकायत पोषणीय होगी यदि इस मामले में प्रत्यासन पत्र था। इस मामले में प्रतिस्थापन की मुख्य शर्ते ओबेरॉय फॉरवर्डिंग एजेंसी के मामले में प्रत्यासन पत्र के समान है। ऐसी शर्तो पर यह माना गया है कि यह एक समनुदेशक है। चूंकि यह एक समनुदेशक है, उपरोक्त दिये गये आदेशो के सिद्वांत लागू होंगे और शिकायत पोषणीय नहीं होगी। हम, हालांकि, यह स्पष्ट

करते है कि बीमा कंपनी के लिए सिविल न्यायालय में राशि की वसूली के लिए दावा दायर करना खुला रहेगा।

तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है। हालांकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u> - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।